रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30122020-224018
CG-DL-E-30122020-224018

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 673] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 30, 2020/पौष 9, 1942
No. 673] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 30, 2020/PAUSHA 9, 1942

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2020

सं. 115/2020-सीमाशुल्क (गै.टे.)

सा.का.नि. 808(अ).—सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962का 52) की धारा 84 के साथ पठित धारा 157 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड एतद् द्वारा, कूरियर इम्पोर्टस और एक्सपोर्टस (इलेक्ट्रॉनिक डिक्लेरेशन एण्ड प्रोसेसिंग) विनयमन 2010 में आगे और भी संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती हैः-

1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ-** (I) ये विनियम कूरियर इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट (इलेक्ट्रॉनिक डिक्लेरेयशन और प्रोसेसिंग) संशोधन विनियम, 2020 है।

   (2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. कूरियर इम्पोर्टस और एक्सपोर्टस (इलेक्ट्रॉनिक डिक्लेरेयशन एण्ड प्रोसेसिंग) विनियम 2010 में।

   (I) विनियम 2 में, उपविनियम(2) के पश्चात् निम्न उप-विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा यथाः-

   "(3) उपविनियम (2), में निहित बातों के बावजूद भी ये विनियम कोविड-19 सम्बन्धी वैक्सीन के आयात और निर्यात पर लागू होंगे"

(II) विनियम 6 के, उप-विनियम (3) में "उपहारों, नमूनों और वस्तुओं की प्रतिकृति" शब्दों के स्थान पर "वास्तविक उपहारों, व्यापारिक नमूनों और वस्तुओं की प्रतिकृतियों और टिकाऊ कंटेनर समेत उनकी सहायक सामग्री का पुर्ननियात, कोविड-19 वैक्सीन के संदर्भ आयातित" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(III) फार्म एच में, घोषणा में अनुच्छेद 2 में "वस्तुओं की प्रतिकृतियों" शब्दों के पश्चात्, "कोविड-19 वैक्सीन से सम्बन्धित आयातित, खाली टिकाऊ कंटेनर समेत उनकी सहायक सामग्री" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा. सं. 451/22/2020-सीमाशुल्क. V)]

केविन बोबन, अवर सचिव

नोटः प्रधान नियामवली को अधिसूचना सं. 36/2010 सीमाशुल्क (गै.टे.), दिनांक 5 मई, 2010, के तहत सा.का.नि. 385(अ), दिनांक 5 मई, 2010, के तहत, भारत के राजपत्र असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 74/2019 सीमाशुल्क (गै.टे.) दिनांक 9 अक्टूबर 2019 द्वारा संसोधन किया गया था और भारत के राजपत्र असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में सा.का.नि. 764(अ), दिनांक 9 अक्टूबर, 2019, प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th December, 2020

No. 115/2020-Customs (N.T.)

G.S.R. 808(E).—In exercise of the powers conferred by section 157 read with section 84 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Indirect Taxes and Customs hereby makes the following regulations further to amend the Courier Imports and Exports (Electronic Declaration and Processing) Regulations, 2010, namely: -

1. Short title and Commencement. - (1) These regulations may be called the Courier Imports and Exports (Electronic Declaration and Processing) Amendment Regulations, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Courier Imports and Exports (Electronic Declaration and Processing) Regulations, 2010,-

(i) in regulation 2, after sub-regulation (2), the following sub-regulation shall be inserted, namely:-

"(3) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (2), these regulations shall apply to the import of and export of vaccines in relation to COVID-19.";

(ii) in regulation 6, in sub-regulation (3), for the words "for gifts, samples and prototype of goods", the words "for bonafide gifts, commercial samples and prototypes of goods and re-export of durable container including accessories thereof, imported in relation to COVID -19 vaccines" shall be substituted;

(iii) in Form H, in the declaration, in paragraph 2, after the words "prototypes of goods", the words and expression ", empty durable container including accessories thereof, imported in relation to COVID -19 vaccines" shall be inserted.

[F. No. 451/22/2020-Cus.V]

KEVIN BOBAN, Under Secy.

Note : The principal notification No. 36/2010-Customs (N.T.), dated the 5th May, 2010 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i), *vide* number G.S.R. 385(E), dated the 5th May, 2010 and was last amended *vide* notification No. 74/2019 Customs (N.T.), dated the 9th October 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II , Section 3, sub-section (i) *vide* number G.S.R. 764(E), dated the 9th October 2019.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2020.12.30 22:37:03 +05'30'